

श्री रघबीर सिंह (मुम्बै) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभी माननीय सदस्य ने कहा अपराधगीस जातियां.....

श्री गहीलाल : मैंने भूतपूर्व शब्द कहा है, सम्भवतः माननीय सदस्य ने सुना नहीं।

श्री रघबीर सिंह : मेरा कहना है कि अपराध शास्त्र किसी को भी, किसी जाति को अपराधगीस नहीं मानता है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह गलत है, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री गहीलाल : मैंने भूतपूर्व शब्द लगाया था। खेद है कि मेरे साथी पूरा नहीं सुन पाए, और मैं उनकी जानकारी के लिए बता दू कि स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश शासन में कुछ जातियों को क्रिमिनल करार दिया जा चुका था और उनके कुछ जगहों पर प्रहारित बना कर बन्द कर रखा था। कांग्रेस शासन में उस पर से वह कानून हटाया गया और वह जातियां भूतपूर्व अपराधगीस जातियां हैं और वही लोग इन बस्तियों में आबाद हैं और वही शराब बनाते हैं और बेचते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request you not to call any tribe as a criminal tribe. It may be the practice of the British Government. But there are criminals in all tribes, in all castes, in all sections.

श्री गहीलाल : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि क्या वह यह स्वीकार करेंगे कि इन लोगों के लिए जैसे कि पहले कारखाने खुले हुए थे काम देने के लिए उसी तरह से इनकी क्षतियों में लघु उद्योग के आधार पर कुछ कारखाने खोल दिए जायें और उनमें इनकी महिलाओं और मुस्लिमों को काम में लगा दिया जाए ? जैसे कि आबादी से पहले सगे हुए हैं, और उनकी भावी सन्तानों के लिए आश्रय टावर के स्वरूप जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुनबाद थे,

यहां खोल कर उनके लिए लार्जमेंटी कर दिया जाए कि उनकी सन्तानों को वहां पढ़ाया जाए और उनके लिए वही बॉर्डिंग लार्जिन की व्यवस्था कर दी जाए।

श्री० चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो उन्होंने कहा कि जो लोग शराब बेचने का काम कर रहे हैं, या ध्रुव रूप से शराब बनाते हैं, उनको रोजगार देने का क्या गवर्नमेंट इंतजाम करेगी, और उन्हीं के लिए नहीं बल्कि भावी सन्तानों के लिए भी ? तो यह सवाल तो उठता नहीं है, अगरचे मेरे पास इलाज तो है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता।

दूसरा प्रश्न था कि सरसूनिया साहब ने मार्च के आखिर में पत्र लिखा था। 26 मार्च को इस गवर्नमेंट ने शपथ ली है और 26 के बाद लिखा होगा तो मुझे याद नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने उसे आई० जी० के पास भेज दिया, पता लगता है कि रिपोर्ट नहीं आई। हो सकता है कि आई० जी० के पास भेज दिया हो, शायद मैंने रिपोर्ट मांगी नहीं। अगर मांगी होती तो रिपोर्ट जरूर भेजी गई होती। आप कहते हैं कि उसके बाद सरसूनिया साहब ने दो पत्र सीधे लिखे, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसके बारे में मैंने अपने जवाब में कहा है कि अगर उन्होंने पत्र लिखे और आई० जी० ने कार्यवाही नहीं की तो मैं उसकी तहकीकात करूंगा। अपने इस जवाब को मैं दोहराता हूँ।

11-45 hrs.]

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

FIRST REPORT

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Advocate) : Sir, I beg to present the First Report of the Committee on Subordinate Legislation.